न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या 22/2023 आंवटन निरस्ती

GCMS No 2023/66

1. हीरालाल पिता श्री मांगीलाल कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
2. वासुदेव सिंह पिता श्री रणजीत सिंह राजपूत निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
3. मनोहर सिंह पिता श्री जवान सिंह राजपूत निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
4. नन्दराम पिता श्री चोखा जी कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
5. दुल्हे सिंह पिता श्री नाथू सिंह राजपूत निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
6. रामलाल पिता श्री लालु मेघवाल निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
7. शंकरगिरी पिता श्री माधुगिरी गुसाई निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
8. रामलाल पिता श्री भेरा रावत निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
9. छगन लाल पिता श्री भेरूलाल लोहार निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
10. प्रकाश चन्द्र पिता भेरा कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
11. मोहनलाल पिता श्री मेघा कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
12. शंकरलाल पिता श्री गोकल कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
13. गेहरीलाल पिता श्री किशोर कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
14. माधुलाल पिता श्री जवेरी कुलमी निवासीः सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता श्री उंकार लाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
2. चम्पालाल पिता श्री उंकार लाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
उदयपुर

3. डालचन्द पिता श्री उंकार लाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
4. शंकरलाल पिता श्री उंकार लाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
5. श्रीमती बदामी बाई पत्नी श्री डालचन्द मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
6. श्रीमती कुशबा पत्नी श्री शंकरलाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
7. श्रीमती बाबरी पत्नी श्री चम्पालाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर
8. श्रीमती प्रेमी बाई पत्नी श्री अम्बालाल मेघवाल निवासीः निम्बोदड़ा, तहसील–डूंगला, जिला–चित्तोड़गढ, हाल मुकाम सरवानीया, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः 1. श्री पन्नालाल मारू अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मनोज कोठारी अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः– 19/05/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरवानीया, पटवार हल्का पीथलपुरा, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर में हाल आराजी संख्या 914/107 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 1/4, 1/4 हिस्सानुसार दर्ज है। उक्त आराजी संख्या 914/107 के साबिक आराजी नंबर 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा होकर उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम सरकार थी। उक्त आराजी नंबर 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आरजी नंबर 85मी. का झूंझ भाग थी। आराजी नंबर 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का विपक्षी संख्या 1 से 8 ने कपटपूर्वक, धोखाधड़ी के जरिये अपने नाम आवंटन करवा लिया। विपक्षी संख्या 1 से 8 ने मिलीभगत के आधार पर आराजी नंबर 85मी. की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किया एवं इसकी कब जांच की गई, इस बाबत् प्रार्थना पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। उक्त

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रार्थना पत्र की जांच किये बिना ही तत्समय के पटवारी हल्का पीथलपुरा द्वारा जांच रिपोर्ट अंकित कर दी गई, जिसकी कलम संख्या 6 में कोई अंकन नहीं है। तत्पश्चात भूमि वितरण समिति द्वारा दिनांक 25.11.2005 को विपक्षी संख्या 1 से 8 के पक्ष में आराजी नंबर 85मी. में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अलोट किये जाने के आदेश पारित किया गया है। विपक्षी संख्या 1 से 8 को आवंटन किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 8 भूमिहिन काश्तकार नहीं थे। इस प्रकरण में आवंटन के पूर्व न तो उद्घोषणा पत्र जारी किया गया है, न ही आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाकर वांछित स्थानों पर प्रकाशित की गई है, न ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जबकि विपक्षी संख्या 1 से 8 के पक्ष में मिलीभगत के आधार पर राजनैतिक पहुंच होने से ताबड़तौड एक ही दिन में आवंटन कर दिया गया है, इसी कारण से आवेदन पर न तो कोई दिनांक है, न ही प्रस्तुतीकरण बाबत् कोई हवाला है। आराजी नंबर 85 मी. की भूमि गैर काबिल काश्त होकर उसर एवं सार्वजनिक रूप से चराई अर्थात चरनोट की भूमि है। इस कारण ऐसी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया ही नहीं जा सकता था। विपक्षी संख्या 1 से 8 को जहां भूमि आवंटन की गई है वहां उस क्षेत्र के रहने वाले लोगो के आराध्य देव जायेडा बावजी का देवरा स्थापित है। मौके पर न तो विपक्षीगण को न तो कब्जा दिया गया है, न ही कब्जा दिया जा सकता था, न ही विपक्षीगण का आवंटन के पूर्व कभी कब्जा था, सारी कार्यवाही मात्र कागजी कार्यवाही की गई है। विपक्षी संख्या 1 से 8 कुछ समय पूर्व से गांव के श्मशान की भूमि पर अपने मवेशी बांधकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर सम्पूर्ण गांव वालों ने मिलकर शमशान की भूमि पर तारबंदी करने का निर्णय लेते हुए तारबंदी करवाई गई। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि श्मशान के सामने स्थित होने से गांव वालो ने सोचा कि कही विपक्षीगण उक्त भूमि पर कब्जा नहीं कर ले इस कारण उक्त भूमि पर भी तारबंदी करवा दी जावे। इस पर उक्त भूमि पर भी ग्रामीणो द्वारा तारबंदी करवाई जा रही थी तो विपक्षीगण मौके पर तो नहीं आये किन्तु सीधे ही पुलिस थाने में चले गये। पुलिस वालों ने बताया कि यह देवरे वाली भूमि तो समस्त राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 से 8 ने इस भूमि को अपने पक्ष में धोखाधड़ी से आवंटन करवा लिया है एवं तत्पश्चात मिलीभगत से खातेदारी भी दर्ज करवा ली है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित आवंटन को निरस्त कराया जावे एवं भूमि को पुनः बिलानाम सरकार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार कानोड़ से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सरवानीया, पटवार हल्का पीथलपुरा, तहसील–कानोड़,

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

जिला–उदयपुर में हाल आराजी संख्या 914/107 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 1/4, 1/4 हिस्सानुसार दर्ज है। उक्त आराजी संख्या 914/107 के साबिक आराजी नंबर 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा होकर उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम सरकार थी। उक्त आराजी नंबर 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आरजी नंबर 85मी. का झूंझ भाग थी। आराजी नंबर 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का विपक्षी संख्या 1 से 8 ने कपटपूर्वक, धोखाधड़ी के जरिये अपने नाम आवंटन करवा लिया। विपक्षी संख्या 1 से 8 ने मिलीभगत के आधार पर आराजी नंबर 85मी. की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किया एवं इसकी जांच कब की गई, इस बाबत् प्रार्थना पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच किये बिना ही तत्समय के पटवारी हल्का पीथलपुरा द्वारा जांच रिपोर्ट अंकित कर दी गई, जिसकी कलम संख्या 6 में कोई अंकन नहीं है। तत्पश्चात भूमि वितरण समिति द्वारा दिनांक 25.11.2005 को विपक्षी संख्या 1 से 8 के पक्ष में आराजी नंबर 85मी. में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अलोट किये जाने का आदेश पारित किया गया है। विपक्षी संख्या 1 से 8 को आवंटन किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 8 भूमिहिन काश्तकार नहीं थे। इस प्रकरण में आवंटन के पूर्व न तो उद्घोषणा पत्र जारी किया गया है, न ही आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाकर वांछित स्थानों पर प्रकाशित की गई है, न ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जबकि विपक्षी संख्या 1 से 8 के पक्ष में मिलीभगत के आधार पर राजनैतिक पहूंच होने से ताबड़तौड एक ही दिन में आवंटन कर दिया गया है, इसी कारण से आवेदन पर न तो कोई दिनांक है, न ही प्रस्तुतीकरण बाबत् कोई हवाला है। आराजी नंबर 85 मी. की भूमि गैर काबिल काश्त होकर उसर एवं सार्वजनिक रूप से चराई अर्थात चरनोट की भूमि है। इस कारण ऐसी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया ही नहीं जा सकता था। विपक्षी संख्या 1 से 8 ने इस भूमि को अपने पक्ष में धोखाधड़ी से आवंटन करवा लिया है एवं तत्पश्चात मिलीभगत से खातेदारी भी दर्ज करवा ली है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित आवंटन को निरस्त कराया जावे एवं भूमि को पुनः बिलानाम सरकार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अपने कथनों के ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गएः–

RBJ(16) 2009 pg no 765
RRT 2009(2) pg no 1221
RRD 2003 pg no 260
RRD 1993 pg no 652
RRD 1994 pg no 666
RBJ(7) 2000 pg no 547
RRD 1992 pg no 302
RRT 2001(2) pg no 1410
RRD 1982 pg no 497
RRD 1982 pg no 13
RRT 2007(2) pg no 1048
RBJ(14) 2007 pg no 492
RRD 1983 pg no 319
RRD 2002 pg no 1

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 22 / 23 आवंटन निरस्ती
हीरालाल बनाम अम्बालाल
GCMS No 2023/66

प्रार्थीगण अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अधिवक्ता विपक्षीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण हीरालाल वगैरह 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 आप न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। उक्त अंकित आराजीयात में विपक्षीगण पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से उपयोग उपभोग उपजाऊ कर काम में ले रहे है। प्रार्थी को दिनांक 02.08.2006 को मुताबिक आवंटन आदेश उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के आदेश से गैर खातेदारी दर्ज की गई। दिनांक 10.10.2016 को उक्त अंकित भूमियों को प्रार्थी ने खुन पसीने की कमाई से सींचकर जमीन का समतलीकरण कर खर्चा कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर राजस्व कर्मचारियों ने आवश्यक दस्तावेज बनाकर जरिये नामांतकरण संख्या 465 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमाया है। आवंटन की प्रक्रिया के पश्चात् एवं खातेदारी दर्ज होने से पहले माननीय न्यायालय को 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की कार्यवाही सुनवाई योग्य है। आवंटन के पश्चात् खातेदार काश्तकार घोषित होने के पश्चात् माननीय न्यायालय को खातेदारी निरस्त अथवा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र प्रारंभ से स्वतः खारिज होने योग्य है। संबंधित खातेदारान ने फसल बोई है एवं उपरोक्त फसलें बिना काश्त खेती के उगना संभव नहीं है। मौखिक बहस के दौरान एक बिन्दु उपजा कि चराई योग्य जमीन गलत आवंटन कर दी है जबकि वास्तव में उक्त जमीन कई वर्षो पहले उसर थी। अर्थात उस पर घास उगना भी संभव नहीं था। उसर जमीन में नमक की मात्रा अधिक रहती है, जिसको विपक्षीगण ने अपने खर्चे से उपजाऊ योग्य बनाया है। विपक्षीगण इसी राजस्व गांव के होकर किसान है। उपरोक्त आराजीयात में वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण की विपक्षीगण की जमीन को जान–बूझकर बदनियतीपूर्वक राजस्व रेकर्ड में कम कर दी, जिसकी कार्यवाही माननीय उप जिला कलक्टर न्यायालय में की जा रही है। राजस्व कर्मियों एंव सेंटलमेंट विभाग के कार्मिको ने सरकारी कागजों में वक्त सेंटलमेंट में काफी हेरफेर व मौकें एवं रिपोर्ट में मनमर्जी से परिवर्तन कर दिये है। जिसके आधार पर विपक्षीगण अपने जवाब में संशोधन करने का शाश्वत् अधिकार सुरक्षित रखते हुए जवाब प्रस्तुत कर रहे है। नक्षा ट्रेस मिलान क्षेत्रफल रकबा में कमी आदि कृत्य प्रार्थीगण / विपक्षीगण के खिलाफ संबंधित विभाग ने किये है साथ ही प्रार्थीगण / विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज है, परन्तु रेकर्ड में हेराफेरी का विवाद है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण की वास्तविक स्थिति हेतु तहसीलदार कानोड से वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौजा सरवानीया पटवार हल्का पीलथपुरा तहसील कानोड के हाज आराजी नंबर 914 / 107 रकबा 0.2700 हैक्टेयर के साबिक आराजी नंबर 85 / 4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा होकर राजस्व रिकार्ड अनुसार अम्बालाल, चम्पालाल, डालचन्द, शंकरलाल पिता उंकार मेघवाल हिस्सा बराबर 1 / 4 निवासी निमोदडा के नाम दर्ज है। मौके पर आधा हिस्से पर फसल एवं आधा हिस्सा पड़त पड़ा हुआ है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

उक्त आराजी के उत्तर दिशा में नाला व दक्षिण में कच्चा रास्ता के पास जाली लगी होकर उसके पश्चात् खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। भूमि के पूर्व दिशा में मौके पर मवेशी चर रहे है व उसके पीछे देवरा बना हुआ है। आराजी के पश्चित दिशा में नाला स्थित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2052–55 अनुसार राजस्व ग्राम सरवानियां तहसील कानोड की आराजी संख्या 85 मी. राजकीय बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि चराई योग्य भूमि होकर किस्म उसर अंकित है। तहसीलदार कानोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वर्तमान में आधे हिस्से पर फसल व आधा हिस्सा पडत है। भूमि के पूर्व दिशा में मौके पर मवेशी चर रहे है एवं पीछे देवरा बना होने, पश्चिम में नाला स्थित होने का अंकन है। आवंटन पत्रावली मे भी आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवंटित की जाने वाली भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के सम्बन्ध में कॉलम भी रिक्त है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि आंवटित भूमि ग्राम से लगती हुई सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आंवटन योग्य नही है अतः उक्त आंवटन निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सरवानियां तहसील कानोड की साबिक आराजी संख्या 85 मी. रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से आवंटित आराजी संख्या 85/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जो कि वर्तमान/हाल में आराजी संख्या 914/107 रकबा 0.2700 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है, का आंवटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः बिलानाम सरकार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर/भीण्डर को सूचनार्थ एवं तहसीलदार कानोड को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर